न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 177 / 2017
दायर दिनांक :– 08.09.2017

अनवान

श्री सदीक मोहम्मद पिता स्व. बशीर मोहम्मद मुसलमान नि. जहाजपुर तह0 जहाजपुर

वादी.....

बनाम

1. श्री लतीफ मोहम्मद पिता फकीर मोहम्मद मुसलमान नि. वार्ड नं. 13 सिनेमा हॉल के पास, लाखेरी जिला बुंदी
2. श्री रसीद मोहम्मद पिता फकीर मोहम्मद मुसलमान नि. चतरपुरा तालाब के पास विज्ञान नगर कोटा
3. श्री निसार मोहम्मद पिता फकीर मोहम्मद मुसलमान नि. चतरपुरा तालाब के पास विज्ञान नगर कोटा
4. श्री रतनसिंह पिता गोरधनसिंह राजपुत नि. फांसल तहसील जहाजपुर
5. श्रीमति गीतादेवी पत्नि राजकुमार मुन्दडा नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
6. श्रीमति सुनिता देवी पत्नि राजकुमार मुन्दडा नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
7. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री अक्षयराज सिंह रेबारी, वकील वादी
2. श्री ओमप्रकाश मुन्दडा, वकील प्रतिवादीगण

:: निर्णय :: दिनांक 11.12.2019

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम जहाजपुर प0 ह0 जहाजपुर तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 4791, 4797, 4811, 6371, 6375, कुल किता 5 रकबा कमश 1.18, 0.19, 2.17, 5.15, 0.08 बीघा कुल रकबा 13.17 बीघा एवं खसरा नं. 4799 रकब 0.03 बीघा गे. मु. आचा स्थित है। जिस पर कब्जा काश्त वादी का निहित है। नूर मोहम्मद का निकाह हलीमा के साथ हुआ था जो पुर्व मे शादीशुदा थी तब हलीमा के पुर्व पति का एक पुत्र था जिसे अपने साथ लेकर साथ में आई थी। जिसका नाम फकीर मोहम्मद था लेकिन पुत्र छोटा होने से प्राकृतिक संरक्षक होने के नाते हलीमा अपने साथ ही लेकर आई तथा नूर मोहम्मद से निकाह करने के पश्चात वह पुत्र हलीमा के साथ रहा इसके कुछ माह पश्चात ही हलीमा ने नूर मोहम्मद से बिना तलाक लिये अन्य पुरूष से दुसरा निकाह कर लिया। इसके पश्चात नूर मोहम्मद के कोई जायज पत्नि नही होने से नूर मोहम्मद ने रहमत बानों से मुस्लिम

विधि के तहत दुसरा निकाह किया तथा दोनो के सहवास से एक पुत्र बशीर मोहम्मद का जन्म हुआ जो नूर मोहम्मद का विधिक वारिस एव उत्तराधिकारी था। फकीर मोहम्मद किसी अन्य व्यक्ति की औलाद थी जिसे हलीमा अपने साथ लेकर आई। जिसका विवाह हमीदन के साथ हुआ तथा उनके नुतफे से तीन पुत्र लतीफ मोहम्मद रसीद मोहम्मद, निसार मोहम्मद का जन्म हुआ जो कभी जहाजपुर जिला भीलवाडा में नही रहे तथा अन्यत्र ही निवास करते चले आ रहे हैं तथा बसीर मोहम्मद का निकाह वहीदन से हुआ तथा दोनो के नुतफे से तीन पुत्र शरीफ मोहम्मद सदीक मोहम्मद सलीम मोहम्मद और एक पुत्री सजिदा बानो हुई जिसमें से शरीफ मोहम्मद की पत्नि मुबारक बानों तथा दो पुत्रीया जसमीन बानो एव अन्जुमन बानो है। तथा सलीम मोहम्मद लाओलाद फोत हो चुका है की पत्नि मुबारक बानों तथा दो पुत्रिया जसमीन बानो एव अन्जुमन आनो है तथा सलीम मोहम्मद लाओलाद फोत हो चुका हैं। उक्त भूमि नूर मोहम्मद की खातेदारी कृषि भूमि थी। जिसके फोत हो जाने के पश्चात विरासत मे नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर फकीर मोहम्मद बशीर मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद के नाम खातेदारी दर्ज कर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया गया। जबकि फकीर मोहम्मद नूर मोहम्मद का विधिक वारिस नही था। लेकिन इसके बावजुद भी राजस्व अधिकारियों की त्रुटि से फकीर मोहम्मद को नूर मोहम्मद की खातेदारी कृषि भुमि में नामान्तरकरण दर्ज कर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया जिसका उक्त कृषि भूमि कतई अधिकार नही था। मात्र बशीर मोहम्मद ही नूर मोहम्मद का एक मात्र पुत्र एव विधिक वारिस है उक्त भूमि का मात्र विधिक वारिस बशीर मोहम्मद था फकीर मोहम्मद के फौत हो जाने से पूर्व मे घोषित खातेदार फकीर मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद 1/2 हिस्सा में लतीफ मोहम्मद रसीद मोहम्मद निसार मोहम्मद पिता फकीर मोहम्मद के नाम खातेदारी अधिकार घोषित कर दिये गये। तथा शेष 1/2 कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार बशीर मोहम्मद के फोत हो जाने के पश्चात सदीक मोहम्मद पिता बशीर मोहम्मद के नाम से खातेदारी अधिकार दर्ज कर दिये गये। इस प्रकार नूर मोहम्मद की खातेदारी कृषि भूमि से 1/2, 1/2 हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि फकीर मोहम्मद एव बशीर मोहम्मद के नाम दर्ज होकर लतीफ मोहम्मद रसीद मोहम्मद निसार मोहम्मद सदीक मोहम्मद के नाम से खातेदारी दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे खातेदारी घोषित कर दिया। जबकि उक्त कृषि भूमि में फकीर मोहम्मद नूर मोहम्मद की जायज संतान नही थी। मात्र पत्नि के साथ अन्य पति के साथ उत्पन्न ओलाद पुत्र के रूप में निकाह के समय पत्नि के साथ आया था। जिसे नूर मोहम्मद का पुत्र मानते हुये राजस्व रेकार्ड मे नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व एवं गलत होने से फकीर मोहम्मद के खातेदारी अधिकार निरस्त करते हुये लतीफ मोहम्मद रसीद मोहम्मद व निसार मोहम्मद के खातेदारी अधिकार निरस्त किया जाना न्यायोचित एव विधि सम्मत हैं उक्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से की खातेदारी लतीफ मोहम्मद रसीद मोहम्मद एवं निसार मोहम्मद में दर्ज हो जाने की आड में लतीफ मोहम्मद रसीद मोहम्मद एव निसार मोहम्मद ने उक्त कृषि भूमि से ख. सं. 4791, 4797, 4811, 6371, 6375 कुल खसरा 5 रकबा कुल किता 13.17 बीघा में से 1/2 हिस्से का बेचान रतनसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत नि. फांसल को रजिस्टर्ड विकय विलेख के तहत दिनांक 01.02.2012 को कर दिया गया। तथा रतन सिंह ने उक्त कृषि का विकय विलेख श्रीमति गीता देवी पत्नि ओमप्रकाश मुंदडा एव सुनिता देवी पत्नि राजकुमार मुंदडा नि. जहाजपुर को दिनांक 08.03.2013 को कर दिया गया। तथा उक्त कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारी भी नामान्तरकरण के जरिये रतनसिंह एवं गीता देवी एवं सुनिता देवी के नाम दर्ज कर दिया। जो विधि विरूद्व हैं जिससे व्यथित होकर वादी ने एक वाद पत्र विकय विलेख निरस्त किये जाने बाबत एक वाद अपर जिला एवं सेशन न्यायालय शाहपुरा के समक्ष एक वाद पत्र पेश किया जिसमे वादी के अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद पत्र मे दोनो विकय विलेखों को चुनौति एक ही वाद पत्र में दिये जाने एवं उक्त वाद पत्र मे नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने संबधी प्रार्थना पत्र वाद पत्र में

की जाकर गलत तथ्यो के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत कर दिया गया। इसलिये वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर नूर मोहम्मद की खातेदारी कृषि भूमि से प्राप्त खातेदारी कृषि भुमि में घोषित खातेदारी कृषि भूमि फकीर मोहम्मद पुत्र नुर मोहम्मद के नाम दर्ज की गई जिसे निरस्त किया जाकर बशीर मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद के नाम समस्त खातेदारी घोषित करते हुये सदीक मोहम्मद पुत्र बशीर मोहम्मद के नाम से समस्त खातेदारी घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की और से श्री ओमप्रकाश मुन्दडा एडवोकेट का अधिकार पत्र पेश किया जाकर जवाब वादपत्र पेश किया जाकर निवेदन किया की वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित आराजी वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 5 व 6 का 1/2 हक व हिस्सा हैं सम्पुर्ण भूमि पर वादी का कब्जा होने का तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। प्रतिवादी सं. 5 व 6 का 1/2 हक व हिस्से पर कब्जा काश्त है। चरण सं. 2 में दिया गया सजरा अधूरा दिया गया हैं। चरण सं. 3 का जवाब में नूर मोहम्मद का निकाह हलीमा के साथ होना स्वीकार है। इस चरण में वर्णित कथन की फकीर मोहम्मद का नूर मोहम्मद के साथ विवाद से पूर्व हलीमा लेकर आई मिथ्या होने से अस्वीकार है। हलीमा द्वारा दुसरा निकाह करने की जानकारी हम जवाबदारान को नही होने से अस्वीकार हैं नूर मोहम्मद द्वारा रहमत बानों से विवाह करना एवं बशीर मोहम्मद का जन्म होना स्वीकार हैं किन्तु बशीर मोहम्मद का एक मात्र वारिस होने का कथन मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। चरण सं. 4 का जवाब फकीर मोहम्मद किसी अन्य वयक्ति की औलाद थी जिसे हलीमा अपने साथ लेकर आई उक्त कथन मिथ्या होने से अस्वीकार हैं फकीर मोहम्मद नूर मोहम्मद का जायंदा पुत्र था। फकीर मोहम्मद का हमीदन से विवाह होने तथा उसके तीन पुत्र लतीफ रसीद व निसार का जन्म होना स्वीकार हैं किन्तु उक्त का कभी जहाजपुर निवास नही करने का कथन मिथ्या होने से अस्वीकार हैं चरण सं. 5 का जवाब मे नूर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामातंरकरण फकीर मोहम्मद बशीर मोहम्मद को किया जाना स्वीकार हैं नूर मोहम्मद के फकीर मोहम्मद एवं बशीर मोहम्मद दोनो 1/2 1/2 हिस्से के लिये उत्तराधिकारी थें चरण सं. 6 का जवाब फकीर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात उसके 1/2 हिस्से के लिये उसके तीनो पुत्रों लतीफ मोहम्मद रसीद मोहम्मद निसार मोहम्मद को खातेदार घोषित किया जाना एंव बशीर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात बशीर मोहम्मद के वारिस के खातेदारी मे दर्ज किये जाने के तथ्य स्वीकार हैं फकीर मोहम्मद नूर मोहम्मद की जायद संतान था। इस कारण राजस्व अधिकारियो द्वारा फकीर मोहम्मद के खाते विरासत दर्ज की गई। इस कारण उक्त लतीफ मोहम्मद रसीद मोहम्मद निसार मोहम्मद के खातेदारी निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है। चरण सं. 7 में लतीफ रसीद निसार द्वारा उक्त आराजी सअधिकार रतनसिंह को विक्रय की एवं रतन सिंह द्वारा हम जवाबदारान को विक्रय कर कब्जा दिया इस चरण मे विक्रय के साथ आड शब्द का उल्लेख किया इस कारण उक्त चरण में वर्णित उक्त कथन मिथ्या होने से अस्वीकार हैं जो विक्रय किये गये वे सअधिकार विक्रय किये गये उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा हम जवाबदारान के नाम दर्ज हैं जो विधि विरूद्व होने का कथन मिथ्या हैं। वादी द्वारा विक्रय पत्र को निरस्त कराने व वाद लौटाने व उच्च न्यायालय से वाद विड्रा किया जाना स्वीकार हैं फकीर मोहम्मद नूर मोहम्मद का जायंदा पुत्र है। उक्त तथ्य को वादी द्वारा प्रस्तुत वाद 23/13 मे वादी द्वारा स्वीकार किया गया। इस वाद मे वादी ने कहा कि उसने फकीर मोहम्मद से उक्त भूमि क्रय कर मूल्य अदा कर दिया इसके अलावा वादी ने एक प्राथमिक सूचना रिपोर्ट थाना जहाजपुर में दर्ज करवाई जिसमे भी फकीर मोहम्मद को नूर मौहम्मद का जायंदा लडका बताया। भूमि अवाप्ति अधिकारी जहाजपुर के समक्ष वादी मुआवजा हेतु आपत्ति प्रस्तुत की जिसमें भी नूर मोहम्मद के दो पुत्र फकीर मोहम्मद व बशीर मोहम्मद बताये। उक्त कथनों में वादी ने फकीर मोहम्मद द्वारा भूमि बशीर मोहम्मद को विक्रय करने दान करने एव हक त्याग

करने के कथन किये। जब वादी को यह लगा कि वह विक्रय दान हक त्याग साबित नही कर पायेगा तक उसने उक्त मिथ्या आधार लेकर यह वाद प्रस्तुत किया हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नया वाद सक्षम न्यायालय मे पेश करने का आदेश दिया हैं। नये आधार लेकर वाद पेश करने का आदेश नही है। तथ्यो के संबध में वादी बार बार झुठे आधार ले रहा हैं। इस कारण उचित अपराधिक कार्यवाही किया जाना न्यायोचिच हैं। वाद पत्र में काज ऑफ एक्शन नही दिया गया हैं। इस कारण उक्त वाद निरस्तनीय हैं। वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दी के तहत निरस्त होने के योग्य हैं।

वकील प्रतिवादीगण ने कोस सूट पेश किया जिसमें निवेदन किया गया कि ग्राम जहाजपुर पटवार हल्का जहाजपुर में स्थित आराजी खंसरा नं. 4791, 4797, 4811, 6371, 6375 कुल किता 5 रकबा 13.17 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 5 व 6 के 1/2 व वादी के 1/2 हक व हिस्से में तथा हिस्से अनुसार काबिज हो काश्त कर रहे है। भूमि की बुवाई एवं उपज के विभाजन में हम खातेदारों के मध्य आपस में विवाद रहता है इस कारण भू एवं भू राजस्व का गुणावगुण के आधार पर विभाजन किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। हम जवाबदारान भुमि का विकास करना चाहते है इस कारण भू एव भू राजस्व का गुणावगुण के आधार पर विभाजन किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। हम जवाबदारान ने वादी को सितम्बर 2017 में विभाजन हेतु कहा किन्तु वादी द्वारा इन्कार कर दिया। इस कारण विनाय वाद सितम्बर 2017 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी हैं। वादी का वाद सव्यय खारिज फरमावे। मिथ्या तथ्यों पर वाद पेश करने के कारण भारी हर्जाना लगाना फरमावे। ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर में स्थित आराजी सं. 4791, 4797, 4811, 6371, 6375 कुल किता 5 रकबा 13.17 बीघा का गुणावगुण के आधार पर विभाजन किये जाने की डिक्री पारित कराना फरमावे। बाद बंटवाडा जवाबदारान के हक व हिस्से मे वादी कब्जा काश्त में दखलअंदाजी न करें न अपने नोकर एजेन्ट रिश्तेदारों से करें करावें कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक जवाबदारान बिरूद्व वादी सादर पारित कराये जाने की मांग की गई।

वादी द्वारा कोस शुट का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। इस कारण कोस शुट का जवाब बन्द कर पत्रावली में तनकियात कायम किये जाने हेतु अवलोकन किया गया।

वकील वादी ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी खतौनी, नकल जामबन्दी सवंत 2068 से 2071, नकल जमाबंदी संवत 2068 से 2071 की प्रति पेश की गई। तथा वकील प्रतिवादीगण ने न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महोदय शाहपुरा में सदीक मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की प्रमाणित प्रति पेश की। जो शामिल पत्रावली किये गयें।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। मैने उभय पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की वादी के वाद पत्र का मुख्य आधार केवल मात्र यह है की फकीर मोहम्मद नूर मोहम्मद का पुत्र नही है। इस कारण नूर मोहम्मद की विरासत फकीर मोहम्मद को प्राप्त नही हो सकती है। इस पत्रावली में अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश के समक्ष इस वाद के वादी सदीक मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत वाद की सत्य प्रति जिसके कमांक 28/13 है। यह वाद अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश द्वारा लौटाये जाने के पश्चात वादी द्वारा इस न्यायालय में पेश किया गया। इस वाद के चरण सं. 2 में वादी ने जो नूर मोहम्मद का सजरा बताया है। उसमें फकीर मोहम्मद को नुर मोहम्मद का लडका बताया गया है। तथा इसी वाद की चरण सं. 3 में नूर मौहम्मद एवं हलीमा से फकीर मोहम्मद का जन्म होना बताया गया हैं। तथा इसी वाद के चरण सं. 6 में फकीर मोहम्मद से मौखिक हक त्याग बशीर मोहम्मद के पक्ष में किये जाने का कथन किया गया है। तथा भुमि अवाप्ति अधिकारी जहाजपुर के समक्ष सदीक मोहम्मद द्वारा मुआवजा भुगतान हेतु आपत्ति प्रस्तुत की गई। जिसमें भी फकीर मोहम्मद को नूर मोहम्मद का पुत्र ही बताया गया

है। वादी अपने द्वारा उक्त वाद पत्र पेश करना स्वीकार करता है। इस वाद के कथनों से फकीर मोहम्मद को नूर मोहम्मद का लडका होना साबित है। इस तथ्य के अलावा इस वाद में अन्य कोई तथ्य नही है। एंव उक्त तथ्य वादी द्वारा ही स्वीकार किया हुआ है। इस कारण फकीर मोहम्मद का नुर मोहम्मद का लडका होना साबित हैं। इस कारण वादी का वाद पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित है। जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित नही समझता है।

तथा प्रतिवादीगण द्वारा बंटवाडे बाबत कोस शुट प्रस्तुत हो रखा है। जिसका वादी द्वारा कोई जवाब नही दिया गया है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। उक्त भुमि में गीता देवी एवं सुनिता देवी का संयुक्त रूप से 1/2 हक व हिस्सा है। एवं 1/2 हक व हिस्सा वादी का है। इस कारण भु एवं भु राजस्व का गुणावगुण के आधार पर विभाजन का आदेश दिया जाना उचित है। जिससे न्यायालय प्रतिवादीगण के कोस शुट को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण का कोस शुट स्वीकार किया जाकर ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 4791, 4797, 4811, 6371, 6375 कुल किता 5 रकबा 13.17 बीघा में वादी व प्रतिवादी सं. 5 व 6 के मध्य राजस्व रेकार्ड के हक व हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स (गुणावगुण) के आधार पर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार जहाजपुर को आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम —जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास — श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

श्री सदीक मोहम्मद पिता स्व. बशीर मोहम्मद मुसलमान नि. जहाजपुर तह0 जहाजपुर

वादी.....

बनाम

1. श्री लतीफ मोहम्मद पिता फकीर मोहम्मद मुसलमान नि. वार्ड नं. 13 सिनेमा हॉल के पास, लाखेरी जिला बुंदी
2. श्री रसीद मोहम्मद पिता फकीर मोहम्मद मुसलमान नि. चतरपुरा तालाब के पास विज्ञान नगर कोटा
3. श्री निसार मोहम्मद पिता फकीर मोहम्मद मुसलमान नि. चतरपुरा तालाब के पास विज्ञान नगर कोटा
4. श्री रतनसिंह पिता गोरधनसिंह राजपुत नि. फांसल तहसील जहाजपुर
5. श्रीमति गीतादेवी पत्नि राजकुमार मुन्दडा नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
6. श्रीमति सुनिता देवी पत्नि राजकुमार मुन्दडा नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
7. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत — 88, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :— 177 / 2017

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी वादी स्वय का मिनजानिब मुदई व श्री ओमप्रकाश मुन्दडा का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण का कोस शुट स्वीकार किया जाकर ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 4791, 4797, 4811, 6371, 6375 कुल किता 5 रकबा 13.17 बीघा में वादी व प्रतिवादी सं. 5 व 6 के मध्य राजस्व रेकार्ड के हक व हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स (गुणावगुण) के आधार पर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार जहाजपुर को आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पक्षकार खर्चा अपना—2 वहन करे।

बसव्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.12.2019

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.12.18 14:34:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: